न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 02/2024

1. देवीलाल पुत्र उदाराम जाति नायक साकिन दुधली तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मुंशीराम पुत्र नत्थुराम जाति नायक साकिन दुधली तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य ।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलांट।

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांकः–15.03.2024

अपीलांट देवीलाल पुत्र उदाराम जाति नायक साकिन दुधली तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़ द्वारा विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.012.2023 बअदालत तहसीलदार राजस्व पल्लु द्वारा मुंशीराम बनाम आशुराम वगैरह प्रकरण सं0 1/2023 में पारित निर्णय को अपास्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अदालत तहसीलदार राजस्व पल्लु द्वारा अनवानी मुंशीराम बनाम आसुराम वगैरह में पारित निर्णय खिलाफ कानून व रुहेदाद मिसल के होनें के कारण काबिल अपास्त है।
2. रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व पल्लु में धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पिता के नाम से साबिका खसरा नं0 229 में 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उक्त प्रार्थना प[illegible] दर्ज किया की मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उ[illegible]/229, 447/229, 443/229, 449/229, में पैमू[illegible] 448/229 में 2.650 है[illegible] बंटवारा में प्राप्त हुई। प्रार्थी के दक्षिण तर[illegible] प्रार्थी क्रम सं0 1 आशुरा[illegible] नत्थुराम की कृषि भूमि व प्रार्थी की भूमि की पूर्व की तरफ अप्रार्थी सं0 2 कालुराम पुत्र भादराम की आराजी 2.710 है0 प्रार्थी की पूर्व की तरफ ही अप्रार्थी सं0 3 देवीलाल पुत्र उदाराम की खसरा नं0 426/352 की 6.323 है0 भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा नजायज कब्जा कर रखा है। जिसका सीमाज्ञान करवाया जाकर रिपोर्ट ली गई, तो अप्रार्थी क्रम सं0 1 ता 3 द्वारा प्रार्थी की आंशिक भूमि 0.500 है0 भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा माना गया। जिस पर अदालत मताहत द्वारा खसरा नं0 448/229 की 0.500 है0 भूमि का कब्जा खड़ी फसल में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जो कतई गलत व विधि विरुद्ध हैं।

5. अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 426/352 में 6.323 है0 भूमि दर्ज कागजात है लेकिन अपीलान्ट व अन्य अप्रार्थीगण को अतिक्रमी मानकर कब्जा दिलाये जाने के आदेश दे दिये गये, जो कतई गलत है।

6. अदालत मताहत द्वारा अपने निर्णय मे कही भी यह दर्ज नहीं किया है कि किस अप्रार्थी ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस प्रकार भी यह आदेश काबिल खारिज है।

7. प्रार्थी द्वारा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमण माना था लेकिन सीमाज्ञान में भू.अ. निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह माना है कि आंशिक जमीन पर कब्जा अप्रार्थीगण ने कर रखा है, लेकिन इसमें भी यह दर्ज नही किया है कि किस– किस ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा इसी रिपोर्ट में पूर्व में किये गये सीमाज्ञान का हवाला दिया गया है। जिसमें माना है कि 0.500 है0 आराजी पर कब्जा कर रखा है जबकि मौका रिपोर्ट पर उन्होंने दर्ज किया हैं कि अप्रार्थीगण का पूर्ण रुप से कब्जा नही रहा है। फिर भी अदालत मताहत ने इसी आधार को मानकर प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये है, जो कतई गलत है।

8. अदालत मताहत द्वारा इसी भूमि में से रास्ता पर यथास्थिती रखते हुए कब्जा दिये जाने के आदेश दिये गये है। जिससे भी साफ जाहिर है कि अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कोई कब्जा नही रहा है फिर भी अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया गया है, जो काबिल खारिज है।

लिहाज अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन [illegible] अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत तहसीलदार राजस्व पल्लू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2023 मिसल संख्या 01/2023 अनवान [illegible] वगैरह में पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:11 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधिक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू से तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। हमनें पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू द्वारा दिनांक 28.12.2023 को पारित निर्णय विधिसम्मत एंव न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू का निर्णय दिनांक 28.12.2023 यथावत रखा जाता है एंव तहसीलदार पल्लू को निर्देशित किया जाता है कि मुंशीराम पुत्र नत्थुराम की भूमि का सीमाज्ञान अपीलांट में उपस्थिति में पुनः किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को भूमि का कब्जा दिलवाया जावे। अतः अपील खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15.3.24 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:11 IST
Reason: SelfAttested